



44374 ID - 2201201912405505020

झारखण्ड JHARKHAND

नेवंधन अधिनियम 2। सथा छोटानाम्बुज
कालतकासु अधिनियम 1908 की धारा 46 के
प्रधीन एवं भारतीय स्वाप्य अधिनियम 1899 के
प्रयुक्ति 1 था। कहा के अधीन
कालतकासु स्वाप्य अधिनियम



22/1/19

22/1/19
e 2.5
3.47

22/1/19

विक्रय-पत्र

1. लेख्यकारी का नाम एवं पुरा पता:-

श्री पचु महतो, पिता का नाम स्व. रूपन महतो, जाति कोइरी (कुशवाहा)

निवास स्थान ग्राम निमियां पोस्ट सुदना, थाना बेदिनीबगर, जिला पलामू

वर्तमान निवास स्थान ग्राम एवं पोस्ट करसो, थाना चैनपुर, जिला पलामू

झारखण्ड पेशा व्यवसाय, नागरिकता भारतीय।